2019/00221

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 134/2019 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र )

1. मंगला पुत्र पांचू
2. प्रभू पुत्र पांचू।

जाति मीणा निवासी ग्राम डोडा डूँगर, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

**प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ श्री विश्वामित्र मीणा आर ए एस ।
2. कल्याण पुत्र नारायण
3. श्रीमती घीसी पत्नी इदरामू
4. बाबू पुत्र रामू
5. नन्दलाल पुत्र रामू
6. रोशन पुत्र रामू
7. इन्द्राज पुत्र रामू
8. छोटू पुत्र रामू
9. प्रभात पुत्र गंगल्या
10. श्रीमती रामप्यारी पत्नी जीता
11. नाथू पुत्र जीता
12. नरसी पुत्र जीता
13. राजूलाल पुत्र रामकरण
14. छोटा देवी पत्नी रामकरण

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम डोडा डूँगर, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर जयपुर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 176/2013 व प्रार्थना पत्र संख्या 183/2013 ब उनवानी मंगला व अन्य बनाम कल्याण व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री रमेश चन्द शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री नेमीचन्द जलवानिया अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2, 3, 5, 6 व 7 की ओर से।

जिला कलक्टर
जयपुर

निर्णय दिनांक 14-11-2019

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है दिनांक 26.7.2019 को प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुये तो वहां पर अप्रार्थी संख्या 2 पीठासीन

अधिकारी के कक्ष में बैठा हुआ था और प्रार्थी जब न्यायालय में रीडर के समक्ष उपस्थित हुआ तो उन्होंने मुझे बताया कि पत्रावली पीठासीन अधिकारी के कक्ष में गई है। आप वहां पर साहब से जाकर मिलो जब प्रार्थी पीठासीन अधिकारी के कक्ष में तारीख पेशी के संबंध में मिलने गया तो पीठासीन अधिकारी ने कहा कि आपके मुकदमें का क्या उनवान है ? प्रार्थी द्वारा मुकदमें का उनवान बताते ही पीठासीन अधिकारी व वहां पर उपस्थित अप्रार्थी कल्याण दोनों हडबडा गये और कल्याण पीठासीन अधिकारी के चैम्बर से उठ कर बाहर आ गया और प्रार्थी को एलानिया धमकी दी कि तुमने जो दावा व टी आई प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा जो टी आई ले रखी है उसे आगामी तारीख पेशी पर खारिज करवा दूंगा । यह सब सुन कर प्रार्थीगण काफी आश्चर्यचकित हो गये। पीठासीन अधिकारी ने यह भी कहा कि तुमने जो दावा पेश किया है वह सही पेश नहीं किया है, उसका मै शीघ्र ही निपटारा करूंगा ये सुन कर प्रार्थीगण को पूर्ण यकीन हो गया कि पीठासीन अधिकारी की अप्रार्थी संख्या 2 से सांठगांठ हो गई है और वे जल्दी ही इस मुकदमें का निपटारा करने वाले है। पीठासीन अधिकारी अपने पद एवं प्रभाव का गलत इस्तेमाल कर प्रार्थीगण पर अनुचित दबाव डाल कर न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों का गलत इस्तेमाल कर रहे है। उक्त परिस्थितियों में प्रार्थीगण को उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नही रही है। इसलिए मुकदमें को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना नितान्त आवश्यक है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 5, 6 व 7 की ओर श्री नेमीचन्द जलवानिया अधिवक्ता उपस्थित हुये ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. उभयपक्ष अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से प्राप्त टिप्पणी का भलीभांति अवलोकन किया गया।
5. प्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार दिनांक 26.07.2019 को अधिवक्ता संघ द्वारा कन्डोलेन्स किये जाने से पत्रावली में जनरल तारीख पेशी दी गई है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोप को बल नहीं मिलता है। प्रकरण में उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने से परिलक्षित होता है कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
6. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को प्रेषित हो । पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
7. निर्णय आज दिनांक 14-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जुगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर